कार्यालय – ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान – जगदलपुर

// विविध – आदेश //

क्रमांक 18 /एक–11–1/2003, जगदलपुर, दिनांक – 09 मार्च, 2015

इस न्यायिक जिला स्थापना में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) की पदस्थापना हो जाने तथा द्वितीय एवं चतुर्थ, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 का स्थानांतरण पश्चात् न्यायालय रिक्त हो जाने के फलस्वरूप मैं सतीश कुमार सिंह, ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान–जगदलपुर व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1956 की धारा–15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–194 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी विविध आदेश क्रमांक 02/एक–11–1/2003 जगदलपुर दिनाँक–07/01/2015 में संशोधन करते हुए, व्यवहार ज़िला एवं सत्र खण्ड जगदलपुर में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य–विभाजन आदेश प्रसारित करता हूं ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

क्र0	न्यायालय का नाम	कार्यक्षेत्र	प्रकरणों के प्रकार
01/	ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर	सत्र खण्ड, बस्तर एवं व्यवहार ज़िला बस्तर	1– सत्र प्रकरण, 2– दाण्डिक अपीलें, 3– दाण्डिक पुनरीक्षण, 4– प्रकरणों के स्थानांतरण आवेदन पत्र, 5– ज़मानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं0 प्र0 सं0 6– दं0 प्र0 सं0 की धारा 199(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण, 7– दं0 प्र0 सं0 की धारा 341 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें, 8– वाद मूल्य रू. 25,00,001/– से अधिक के सांपत्तिक वाद, 9–मध्यस्थता निपटारा अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एवं कान्सिलियेशन एक्ट 1996) के प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र, 10– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 जगदलपुर के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें, 11– लोकल एवं स्पेशल लॉ के अंतर्गत प्रस्तुत दीवानी विविध अपीलें, 12– भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, 13– म0प्र0/छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा–20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएं, 14– व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–92 के अंतर्गत मूल्य रूपए 50,000/– से अधिक के प्रकरण, 15– अन्य विशेष एवं लोकल लॉ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यावहारिक प्रकरण, 16– मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा–166, 140 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रस्तुत दावा प्रकरण, 17– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग–10 के अंतर्गत संस्थापित होने वाले प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण, 18– व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र, 19– सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य

			रूपये 50,000/– से अधिक के प्रकरण, 20– ऐसे व्यवहार स्वरूप के प्रकरण, जो इस कार्य–विभाजन के आदेश में नहीं दर्शाये गये है । 21– व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध एवं निष्पादन वाद प्रकरण । 22– अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना ।
02/	विशेष न्यायाधीश, (एस्ट्रोसिटीज), जगदलपुर।	सम्पूर्ण बस्तर सिविल जिला।	1– अनुसुचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण, 2– जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण करना। 3– सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना। 4– पूर्व में विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
03/	प्रथम अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) जगदलपुर	बस्तर ज़िला एवं राजस्व जिला बस्तर।	1/ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण, 2/ एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण। 3/ विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण, ज़मानत आवेदन पत्र एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां, 5/ वाद मूल्य रूपए 12,00,001/– से रूपए 25,00,000/– तक के व्यवहार वाद, 6/ मूल्य रूपये 501/– से रूपये 1,000/– तक के लघु वाद, निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण जो सिविल एक्ट कि धारा– 9 के अंतर्गत निराकरण हेतु अधिकृत है। 7/ तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1/द्वि0व्य0 न्यायाधीश वर्ग–2 जगदलपुर के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अधीन पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध अपीलें एवं विविध अपीलें। 8/ मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण, जो मुख्य दावाधिकरण, जगदलपुर द्वारा अंतरित किये जायेंगे। 9/ उपर्युक्त से संबंधित निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण, 10/ ज़िला न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, अपीलें, विविध अपीलें तथा विविध प्रकरण, 11/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना । 12/ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा पूर्व में निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत

			विशेष प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, सत्र प्रकरण दाण्डिक अपील, व्यवहार वाद व अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना।
04/	द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	राजस्व ज़िला बस्तर	1/ सत्र न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीले, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द0प्र0सं0 एवं विधिक दाण्डिक कार्यवाहियां। 2/ वादमूल्य 8,00,001/– से 12,00,000/– रूपये तक के व्यवहार वाद। 3/ पूर्व के द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय से निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार वाद, निष्पादन वाद, विविध वाद एवं विविध आवेदन पत्र निराकृत सत्र प्रकरणों/ अपील/ पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन एवं माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना। 4/ चतुर्थ व्य0 न्यायाधीश वर्ग–2 जगदलपुर के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अधीन पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध अपीलें एवं विविध अपीलें। 5/ जिला न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, अपीलें, विविध अपीलें तथा विविध प्रकरण। 6/ मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण, जो मुख्य दावाधिकरण, जगदलपुर द्वारा अंतरित किये जायेंगे। 7/ उपर्युक्त से संबंधित निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण,
05/	तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर	बस्तर राजस्व ज़िला	1/ सत्र न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीले, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द0प्र0सं0 एवं विधिक दाण्डिक कार्यवाहियां। 2/ वाद मूल्य 4,00001/– से 8,00,000/– रूप्ये तक व्यवहार वाद। 3/ प्रथम/पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 जगदलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी एवं आदेश के विरूद्व प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें। 4/ अपने न्यायालय से व्यवहार/दावा/सत्र प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना, एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त आदेशों का पालन करना। 5/ पूर्व में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा, ,व्यवहार वाद, निष्पादन विविध वाद एवं विविध आवेदन पत्र, सत्र प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन, माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना।

06/	अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश,(एफ0टी0सी0) जगदलपुर	बस्तर राजस्व ज़िला	1/ सत्र न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीले, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द0प्र0सं0 एवं विधिक दाण्डिक कार्यवाहियां। 2/ वाद मूल्य रूपये 50,001/–से 4,00,000/– रूपये तक व्यवहार वाद। 3/ तृतीय/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जगदलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें, 4/ चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) जगदलपुर के न्यायालय से निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार वाद, निष्पादन वाद, विविध वाद, एवं विविध आवेदन पत्र, निराकृत सत्र प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन, माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के ओदशों का पालन करना। 5/ अपने न्यायालय से व्यवहार/दावा/सत्र प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना, एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त आदेशों का पालन करना। 6/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिलाओं एवं बच्चों से लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रकरणों एवं रिमांड का निराकरण करना।
07/	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, जगदलपुर	राजस्व ज़िला बस्तर की तह–जगदलपुर, तोकापाल, बकावण्ड, बास्तानार एवं दरभा	1/ नियमित व्यवहार वाद रूपए 25,001/– से रूपए 50,000/– तक के सांपत्तिक वाद तथा मध्यस्थता एवं निपटारा अधिनियम 1996 (आर्बिटेशन एवं कान्सिलियेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, 2/ को–आपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रूपए 25,001/– से 50,000/– रूपए तक के प्रकरण, 3/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण, 4/ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भाग–10 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण, 5/ विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अंतर्गत प्रकरण। 6/ दिवालिया प्रकरण। 7/ म0प्र0/छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम कि धारा 139 एवं 172 अंतर्गत अपीले। 8/ म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट कि धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपये 201/– से 500/– तक के लघुवाद प्रकरण। 9/ जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गए व्यवहार वाद निष्पादन विविध प्रकरण एवं दाण्डिक प्रकरण । 10/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना तथा रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण

			करना। 11/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के न्यायालय द्वारा माह अक्टूबर 2013 के पूर्व निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन विविध तथा अंतवर्तिया आवेदन पत्रो के निराकरण करने एवं उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णीत आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों के आदेश का क्रियान्वयन करने तथा रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना तथा माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के पूर्व में 12/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के पूर्व में निराकृत प्रकरणों का निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना एवं पूर्व में उनके द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से सम्बंधित अपीलीय न्यायालयों का आदेश का पालन करना। 13/ धारा 138 लिखित परकाम्य अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण करना। 14/ पीठासीन अधिकारी के अवकाश या अनुपस्थिती अवधि में आवश्यक कार्यो का संपादन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा किए जावेंगे।
8/	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, जगदलपुर	——	(न्यायालय रिक्त है।)
9/	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, जगदलपुर	राजस्व ज़िला बस्तर की तहसील बस्तर एवं लोहण्डीगुड़ा	1/ नियमित व्यवहार वाद रूपए 25,001/– से रूपए 50,000/– तक के सांपत्तिक वाद तथा मध्यस्थता एवं निपटारा अधिनियम 1996 (आर्बिट्रेशन एवं कान्सिलियेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, 2/ को–आपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रूपए 25,001/– से 50,000/– रूपए तक के प्रकरण, 3/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण, 4/ भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 भाग–10 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण, 5/ विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अंतर्गत प्रकरण। 6/ दिवालिया प्रकरण। 7/ म0प्र0/छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत अपीलें। 8/ छ0ग0 सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपए 201/– से रूपए 500/– तक के लघुवाद प्रकरण। 9/ जिला न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये व्यवहार वाद, निष्पादन विविध प्रकरण एवं दाण्डिक प्रकरण। 10/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना। 11/ तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 जगदलपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 18/04/2011 के पूर्व निराकृत

			प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, तथा अंतरवर्तीय आवेन पत्रों के निराकरण करनो एवं उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध की गयी अपीलों की आदेशों का क्रियान्वयन करने तथा रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना।
10/	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर	———	(रिक्त न्यायालय)
11/	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर	———	(रिक्त न्यायालय)
12/	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर	———	(रिक्त न्यायालय)
13/	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर.	———	(रिक्त न्यायालय)
14/	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर तह0– जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड एवं दरभा,	1/ वाद मूल्य रूपये 25,000/– तक के सर्वलौकिक वाद तथा मध्यस्थता एवं निपटारा अधिनियम 1996 (ऑरबिटेशन एवं कान्सिलियेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 2/ को–आपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रूपये 25,000/– तक के प्रकरण। 3/– छ0ग0 सिविल कोर्ट एक्ट कि धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपये 200/– तक के लघुवाद प्रकरण। 4/ व्यवहार प्रकरण संहिता के अंतर्गत निष्पादन एवं विविधिक न्यायिक प्रकरण । 5/ जिला न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर अंतरित किए गए प्रकरण। 6/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/ रिमाण्ड कार्य करना। 7/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना। 8/ प्रथम/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2,/ न्या0म0प्र0श्रे0 जगदलपुर के द्वारा पूर्व निराकृत व्यवहार प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों का पालन करना।
15/	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर तह0– लोहण्डीगुड़ा, तोकापाल, बास्तानार	1/ वाद मूल्य रूपये 25,000/– तक के सर्वलौकिक वाद तथा मध्यस्थता एवं निपटारा अधिनियम 1996 (ऑरबिटेशन एवं कान्सिलियेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 2/ को–आपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रूपये 25,000/– तक के प्रकरण। 3/– छ0ग0 सिविल कोर्ट एक्ट कि धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रूपये 200/– तक के लघुवाद प्रकरण। 4/ व्यवहार प्रकरण संहिता के अंतर्गत निष्पादन एवं विविधिक न्यायिक प्रकरण ।

			5/ जिला न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर अंतरित किए गए प्रकरण। 6/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/ रिमाण्ड कार्य करना। 7/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना। 8/ तृतीय एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2/ न्या0म0प्र0श्रेणी जगदलपुर के द्वारा पूर्व निराकृत व्यवहार प्रकरण, विविध प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, अपीली न्यायालय के आदेशों का पालन करना।

टीप :– पूर्व से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर इस कार्य–विभाजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उन्हें यथावत् न्यायालयों द्वारा निराकृत किया जाएगा ।

9/3/15

(सतीश कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बस्तर, स्थान–जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक– मार्च , 2015

पृष्ठांकन क्रमांक 393/एक–11–1/2003,

यथाआदेश प्रतिलिपि :–

(1) विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) जगदलपुर
(2) प्रथम अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
(3) द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर,
(4) तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर,
(5) अपर जिला न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) जगदलपुर
(6) प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, जगदलपुर,
(7) पंचम/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जगदलपुर
(8) प्रशासनिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
(9) प्रबंधक जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर,
(10) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, जगदलपुर,
(11) पंजीयक जिला एवं सत्र न्यायालय, जगदलपुर,
(12) प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षक
कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्तर, स्थान–जगदलपुर

o/c